[2021] 7 एस.सी.आर. 65

पेट्रीसिया मुखिम

बनाम

मेघालय राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 141/2021)

25 मार्च 2021

[एल. नागेश्वर राव और एस. रवीन्द्र भट्ट, न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860 - धारा 153क और 505 (1)(ग) - मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों पर लोहे की छड़ और डंडों से क्रूर हमला- हमलावर कथित तौर पर मेघालय के आदिवासी समुदाय के थे - राज्य में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर बनाई गई अपीलार्थी द्वारा अपलोड की गई फेसबुक पोस्ट- प्रथम दृष्टया मामला धारा 153 क और 505 (1) (ग) के तहत बनाया गया है या नहीं- अभिनिर्धारित: अपीलार्थी द्वारा अपलोड की गई फेसबुक पोस्ट की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि उसकी पीड़ा मुख्यमंत्री, मेघालय, डीजीपी और क्षेत्र के दरबारशोंग द्वारा गैर-आदिवासियों पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने में दिखाई गई उदासीनता के खिलाफ निर्देशित थी- फेसबुक पोस्ट को पूरी तरह से मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों की समानता के लिए पढ़ा गया है- अपीलार्थी का वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था- चूंकि अपीलार्थी द्वारा किसी समुदाय से संबंधित लोगों को किसी हिंसा में लिप्त होने के लिए उकसाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए धारा 153 क और 505 (1) (ग) के तहत अपराध के मूल तत्व नहीं बनाए गए- मेघालय राज्य में रहने वाले गैर-आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी समानता के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई तीव्र याचिका को किसी भी तरह से घृणापूर्ण भाषण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है- यह न्याय का आह्वान था- कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए, जिसकी अपेक्षा करने और स्पष्ट करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है- सरकारी निष्क्रियता की अस्वीकृति को विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है- नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता है, जब तक कि इस

तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न हो- धारा 153 क और 505(1)(ग) के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

दंड संहिता, 1860 - धारा 153क - बोलने का अपराध - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध - अभिनिर्धारित: संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही मूल्यवान मौलिक अधिकार है - हालांकि, अधिकार निरपेक्ष नहीं है- भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं- भाषण अपराध धारा 153 क के तहत दंडनीय है। - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 19 (1)(क) - घृणित भाषण।

दंड संहिता, 1860 - धारा 153 क - का लक्ष्य– समझाया - अभिनिर्धारित: अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा धारा 153 क के तहत अपराध नहीं है और अभियोजन को सफल होने के लिए पुरुषों के अस्तित्व को साबित करना होगा - इरादे को मुख्य रूप से लेखन की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें इसे लिखा और प्रकाशित किया गया था - तथापि, धारा 153क के दायरे में शिकायत किए गए मामले को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

दंड संहिता, 1860 - धारा 153क - धारा 153क बनाम धारा 505 की सामग्री(2) - दोनों अपराधों के बीच समानताएं और अंतर - अभिनिर्धारित: धारा 153 क और धारा 505(2) के तहत अपराध के लिए पुरुष अधिकार एक आवश्यक घटक है - दोनों वर्गों का सामान्य कारक विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाविज्ञान या धार्मिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देना है, यह आवश्यक है कि कम से कम दो ऐसे समूहों या समुदायों को शामिल किया जाए - किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की भावनाओं को भड़काना दो वर्गों में से किसी को भी आकर्षित नहीं कर सकता है- हालांकि, धारा 505 के तहत शब्दों या प्रतिनिधित्व का प्रकाशन अनिवार्य है- अभद्र भाषा

प्रथम सूचना रिपोर्ट- बंद करना - अभिनिर्धारित : जहां प्रथम सूचना रिपोर्टया शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं, तो प्रथम सूचना रिपोर्टको रद्द किया जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1.1. संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही मूल्यवान मौलिक अधिकार है। हालाँकि, अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भाषण अपराध भारतीय दंड संहिताकी धारा 153क के तहत दंडनीय है। [अनुच्छेद 8]

1.2. हालाँकि, अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा भारतीय दंड संहिताकी धारा 153 क के तहत अपराध का अनिवार्य कारण है और अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए पुरुषों के अस्तित्व को साबित करना होगा। भारतीय दंड संहिताकी धारा 153 क के तहत अपराध का सार विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का इरादा है। इरादे को मुख्य रूप से लेखन की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें इसे लिखा और प्रकाशित किया गया था। धारा 153क के दायरे में शिकायत किए गए मामले को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आरोप को साबित करने के लिए कोई भी जोरदार शब्दों और अलग-अलग अंशों पर भरोसा नहीं कर सकता है और न ही वास्तव में कोई यहां एक वाक्य और वहां एक वाक्य ले सकता है और उन्हें अनुमानित तर्क की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया द्वारा जोड़ सकता है। [अनुच्छेद 9,10]

1.3. भारतीय दंड संहिताकी धारा 153क और धारा 505 (2) के तहत अपराध के लिए पुरुष अधिकार को एक आवश्यक घटक माना गया है। दोनों वर्गों का सामान्य कारक विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या

भाषाविज्ञान या धार्मिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देना है, यह आवश्यक है कि कम से कम दो ऐसे समूहों या समुदायों को शामिल किया जाए। किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की भावनाओं को भड़काना दोनों में से किसी भी वर्ग को आकर्षित नहीं कर सकता है। हालांकि, धारा 505 के तहत शब्दों या प्रतिनिधित्व का प्रकाशन अनिवार्य है। [अनुच्छेद 11]

2. अपीलार्थी द्वारा अपलोड की गई फेसबुक पोस्ट की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी की पीड़ा मेघालय के मुख्यमंत्री, डीजीपी और क्षेत्र के दरबारशोंग द्वारा गैर-आदिवासियों पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने में दिखाई गई उदासीनता के खिलाफ थी। अधिक से अधिक, फेसबुक पोस्ट को मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करने के लिए समझा जा सकता है। अपीलार्थी ने स्पष्ट किया कि आपराधिक तत्वों का कोई समुदाय नहीं है और बास्केटबॉल खेलने वाले गैर-आदिवासी युवाओं पर क्रूर हमले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। फेसबुक पोस्ट को पूरी तरह से मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों की समानता के लिए पढ़ा गया है। अपीलार्थी का वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि अपीलार्थी द्वारा किसी समुदाय के लोगों को किसी हिंसा में लिप्त होने के लिए उकसाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए भारतीय दंड संहिताकी धारा 153क और 505 (1) (ग) के तहत अपराध के मूल तत्व नहीं बनाए गए हैं। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं, तो प्रथम सूचना रिपोर्टको रद्द किया जा सकता है। [अनुच्छेद 13]

3. दरबार श्नोंग, लॉसोतुन द्वारा की गई शिकायत कि अपीलार्थी का बयान सांप्रदायिक तनाव को उकसाएगा और पूरे राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष को भड़का सकता है, केवल कल्पना की उपज है। मेघालय राज्य में रहने वाले गैर-आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी समानता के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई तीव्र याचिका को किसी भी कल्पना के आधार पर घृणापूर्ण भाषण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह न्याय के लिए एक आह्वान था-कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए, जिसकी उम्मीद करने और स्पष्ट

करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। सरकारी निष्क्रियता की अस्वीकृति को विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है। इस देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपराधिक मामलों में फंसाकर नहीं दबाया जा सकता है, जब तक कि इस तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न हो। अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क और 505 (1) (ग) के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। [अनुच्छेद 15]

बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, **(1995) 3 एस. सी. सी. 214**; मंजार सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2007) 5 एससीसी 1**; बिलाल अहमद कालू बनाम स्टेट ऑफ एपी **(1997) 7 एससीसी 431: [1997] 3 सप्ल एससीआर 327** और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, **1992 सप्ल (1) एससीसी 335: [1990] 3 सप्ल एस. सी. आर. 259-पर निर्भर।**

रमेश बनाम भारत संघ **(1988) 1 एस. सी. सी. 668: [1988] 2 एस. सी. आर. 1011**; और प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और **अन्य (2014) 11 एससीसी 477: [2014] 4 एससीआर 446-संदर्भित।**

सस्केचेवान (मानवाधिकार आयोग) बनाम व्हॉटकॉट **[2013] 1 एससीआर 467 (कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय)** - संदर्भित।

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

(1995) 3 एससीसी 214	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 9**
(2007) 5 एससीसी 1	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 10**
[1997] 3 सप्ल एससीआर 327	**पर भरोसा**	**अनुच्छेद 11**
[1988] 2 एससीआर 1011	**करने के लिए भेजा**	**अनुच्छेद 11**
[2014] 4 एससीआर 446	**करने के लिए भेजा**	**अनुच्छेद 12**

[1990] 3 सप्ल एससीआर 259 पर भरोसा अनुच्छेद 13

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 141/2021

शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय की आपराधिक याचिका संख्या -9/2020 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.11.2020 से।

सुश्री वृंदा ग्रोवर, आकर्ष कामरा, सौतिक बनर्जी, प्रसन्ना एस., अपीलकर्ता के अधिवक्ता

अविजीत मणि त्रिपाठी, शौर्य सहाय, पी.एस नेगी, प्रत्यार्थियो के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति

1. यह अपील भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153 ए, 500 और 505 (1) (सी) के तहत दर्ज प्राथमिकी लाबान पीएस मामला संख्या 72 (7) 2020 दिनांक 06.07.2020 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ दायर की गई है।

2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क) द्वारा 04.07.2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें एक दिन पहले की घटना का संदर्भ था। घटना के बाद लाबन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिताकी धारा 326/307/506/34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रेस विज्ञप्ति में यह उल्लेख किया गया था कि लगभग दोपहर 12:30 बजे, लगभग 25 अज्ञात लड़कों ने ब्लॉक 4, लॉसोतुन में बास्केटबॉल खेल रहे युवाओं पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया था। इस घटना में अरिंदम देब, सुभराशी दास पासपुरकायस्थ, सप्तर्षि दास पुरकायस्थ, बिनक देब, बिशाल घोष और प्रीतिश देब घायल हो गए थे। घायल को चिकित्सा सहायता के लिए वुडलैंड अस्पताल ले जाया गया था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि कुछ संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ जारी है। जनता से अपराध के अपराधियों की पहचान करने में जांच दल की सहायता करने की अपील की गई थी। एक चेतावनी दी गई थी कि किसी को भी सांप्रदायिक शांति और सद्भाव का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

3. उसी दिन, अपीलार्थी ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की, जो इस प्रकार हैः

पेट्रीसिया मुखिम

4 जुलाई को 04:07 बजे। एंड्रॉयड के लिए फेसबुक

कॉनराड संगमा सीएम मेघालय, लॉसोहटुन में कल जो हुआ, जहां बास्केटबॉल खेल रहे कुछ गैर-आदिवासी युवाओं पर घातक हथियारों से हमला किया गया और अब वे अस्पताल में हैं, एक सरकार और एक कार्यात्मक पुलिस बल वाले राज्य में अस्वीकार्य है। हमलावर कथित रूप से मास्क पहने आदिवासी लड़के हैं और उन पर तुरंत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मेघालय में गैर-आदिवासियों का यह निरंतर हमला, जिनके पूर्वज दशकों से यहां रह रहे हैं, कुछ ब्रिटिश काल से यहां आए हैं, कम से कम कहने के लिए निंदनीय है। तथ्य यह है कि 1979 के बाद से ऐसे हमलावरों और उपद्रवियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और यदि गिरफ्तार किया जाता है तो कानून के अनुसार कभी दंडित नहीं किया गया है, यह बताता है कि मेघालय लंबे समय से एक असफल राज्य रहा है।

हम आपकी सरकार और वर्तमान डीजीपी, आर चंद्रनाथन के तहत पुलिस बल से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को गंभीरता से लें। हमें जनता को दिखाएँ कि हमारे पास एक पुलिस बल है जिसका हम आदर कर सकते हैं।

और क्षेत्र के दरबार श्नोंग के बारे में क्या? क्या उनकी आंखें और कान जमीन पर नहीं हैं? क्या वे अपने अधिकार क्षेत्र में आपराधिक तत्वों को नहीं जानते? क्या उन्हें इस मामले का नेतृत्व नहीं करना चाहिए और उन हत्यारे तत्वों की पहचान नहीं करनी चाहिए? यह समय सामुदायिक हितों, जाति और पंथ से ऊपर उठकर न्याय के लिए आह्वान करने का है।

हम आशा करते हैं कि यह पुलिस फाइलों में खोया हुआ एक और मामला नहीं होगा। हम कार्रवाई चाहते हैं। आपराधिक तत्वों का कोई समुदाय नहीं होता है। उनसे देश के कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए।

हमारे गैर-आदिवासी भाई अपने ही राज्य में निरंतर भय में क्यों रहते रहें? यहाँ पैदा हुए और पले-बढ़े लोगों को मेघालय को अपना राज्य कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि स्वदेशी जनजातीय लोगों को है। अवधि.

4. 06.07.2020 को हेडमैन और सचिव, दोरबार श्नोंग, लॉसोतुन, शिलांग ने पुलिस अधीक्षक, पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग, मेघालय में शिकायत दर्ज कराई कि अपीलार्थी द्वारा फेसबुक पर दिए गए बयान ने सांप्रदायिक तनाव को उकसाया है जो एक सांप्रदायिक संघर्ष को भड़का सकता है। दरबार श्नोंग ने भी मानहानि की शिकायत की। उक्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, लाबान पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई और अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 क के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे लाबान पुलिस स्टेशन, जिला पूर्वी खासी हिल्स शिलांग, मेघालय के तहत केंच के ट्रेस पुलिस बीट हाउस के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया।

5. अपीलार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय में 2020 की आपराधिक याचिका संख्या 9 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.11.2020 के अपने निर्णय द्वारा 2020 की आपराधिक याचिका संख्या 9 को खारिज कर दिया, जिसकी वैधता को इस अपील में चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय की राय थी कि मेघालय राज्य में आदिवासियों द्वारा गैर-आदिवासियों पर हमले के संदर्भ में दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की प्रवृत्ति है। यह देखते हुए कि फेसबुक पोस्ट दो समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत की भावनाओं को जगाने का प्रयास करती है, उच्च न्यायालय ने *प्रथम दृष्टया* भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क के तहत अपराध माना।

6. हमने अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री वृंदा ग्रोवर और मेघालय राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अविजीत मणि त्रिपाठी को सुना है। अपीलकर्ता का तर्क यह था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क के तहत अपराध की सामग्री नहीं बनाई गई है और अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द की जानी चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया कि फेसबुक पोस्ट को पूरा पढ़ा जाना चाहिए। गैर-आदिवासियों पर क्रूर हमले पर प्रकाश डाला गया और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया कि दो समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावना को

बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था। यह तर्क देने के लिए इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा की गई टिप्पणी को एक उचित, मजबूत दिमाग वाले और साहसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत गारंटीकृत अपने अधिकार का दावा किया। उन्होंने आपराधिक मुकदमे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की जिसके परिणामस्वरूप उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर भयावह प्रभाव पड़ा।

7. प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी एक प्रसिद्ध पत्रकार है और उससे सार्वजनिक टिप्पणियां करते समय अधिक जिम्मेदार होने की उम्मीद की जाती है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी की टिप्पणी में सांप्रदायिक वैमनस्य को भड़काने की प्रवृत्ति है।

8. *"सत्य के उभरने और एक नागरिक समाज के लिए सभी को बोलने से मुक्त रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।"* - थॉमस जेफरसन। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) द्वारा प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही मूल्यवान मौलिक अधिकार है। हालाँकि, अधिकार निरपेक्ष नहीं है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भाषण अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत दंडनीय है। धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना कारावास से दंडनीय है जो धारा 153 ए के तहत तीन साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। जैसा कि हमें यह निर्णय करने के लिए कहा गया है कि क्या अपीलार्थी के खिलाफ धारा 153क और 505 (1) (ग) के तहत अपराध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, यह निम्नलिखित प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैः

153 क. धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। -

(1) जो भी –

(क) धर्म, वंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार के आधार पर, विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास, या

(ख) कोई ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है और जो सार्वजनिक शांति को बाधित करता है या बाधित करने की संभावना रखता है; या

(ग) किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या अन्य समान गतिविधि का आयोजन करने का इरादा रखता है कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या ऐसी गतिविधि में भाग लेते हैं या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने का इरादा रखते हैं या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसी गतिविधि किसी भी कारण से ऐसी धार्मिक, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच भय या भय या असुरक्षा की भावना पैदा करने या पैदा करने की संभावना है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

पूजा आदि के स्थान पर किया गया अपराध - (2) जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध करता है, किसी भी पूजा स्थल में या धार्मिक अनुष्ठानों या धार्मिक अनुष्ठानों के प्रदर्शन में लगी

किसी सभा में, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

505. सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान। -

(1) जो कोई भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, -

*** *** *** ***

(ग) किसी अन्य वर्ग या समुदाय के विरुद्ध कोई अपराध करने के लिए व्यक्तियों के किसी वर्ग या समुदाय को उकसाने या उकसाने के इरादे से,

कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन वर्ष तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

9. केवल जहां लिखित या बोले गए शब्दों में सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या कानून और व्यवस्था को बाधित करने या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है, कानून को ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा भारतीय दंड संहिताकी धारा 153 क के तहत अपराध का अनिवार्य कारण है और अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए पुरुषों के अस्तित्व को साबित करना होगा।[1]

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 153 क के तहत अपराध का सार विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का इरादा है। इरादे को मुख्य रूप से लेखन की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें इसे लिखा और प्रकाशित किया गया था। धारा 153क के दायरे में शिकायत किए गए मामले को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आरोप को साबित करने के लिए दृढ़ता से शब्दबद्ध और अलग-अलग अंशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और न ही वास्तव में कोई यहां एक वाक्य और वहां एक वाक्य ले सकता है और उन्हें अनुमानात्मक तर्क [2] की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया द्वारा जोड़ सकता है।

11. ***बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य***[3] में, इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिताकी धारा 153 क और 505 (2) के तत्वों का विश्लेषण किया। यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 153 ए ऐसे मामले को कवर करती है जहां कोई व्यक्ति "शब्दों, चाहे बोले गए या लिखे गए, या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से", शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। धारा 505 (2) के तहत अफवाह या चिंताजनक समाचार वाले किसी बयान या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करके ऐसी भावना का प्रचार किया जाना चाहिए था। धारा 153 ए और धारा 505 (2) के तहत *मनःस्थिति* को अपराध के लिए एक आवश्यक घटक अनिर्धारित किया गया था। दोनों वर्गों का सामान्य कारक विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाविज्ञान या धार्मिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देना है, यह आवश्यक है कि कम से कम दो ऐसे समूहों या समुदायों को शामिल किया जाए। **बिलाल अहमद कालू** (पूर्वोक्त) में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की भावनाओं को भड़काना दोनों में से किसी भी वर्ग को आकर्षित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने दोनों अपराधों के बीच के अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि शब्दों या प्रतिनिधित्व का प्रकाशन धारा 505 के तहत अनिवार्य है। ***रमेश बनाम भारत संघ***[4] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कथित आपराधिक भाषण में प्रयुक्त शब्दों का न्याय विवेकपूर्ण, दृढ़ विचार वाले, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों से किया जाना चाहिए, न कि कमजोर और तीखे दिमाग वाले लोगों के, और न ही उन लोगों के जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे की गंध लेते हैं। एक साधारण समझदार व्यक्ति का मानक या जैसा कि वे अंग्रेजी कानून में कहते हैं "क्लैफम ऑम्निबस के शीर्ष पर आदमी" लागू किया जाना चाहिए।

12. इस न्यायालय ने प्रवासी ***भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य***[5] *में* ***सस्केचेवान (मानवाधिकार आयोग) बनाम व्हॉटकॉट***[6] में कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था। उस फैसले में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने "घृणा" की व्याख्या करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण निर्धारित किया, जैसा कि घृणा भाषण को प्रतिबंधित करने वाले विधायी प्रावधानों में उपयोग किया जाता है। पहला परीक्षण न्यायालयों के लिए घृणा भाषण निषेध को निष्पक्ष रूप से लागू करना था और ऐसा करने में, यह पूछना था कि क्या एक उचित व्यक्ति, संदर्भ और परिस्थितियों से अवगत है, अभिव्यक्ति को संरक्षित समूह को घृणा के लिए उजागर करने के रूप में देखेगा। दूसरा परीक्षण विधायी

शब्द " घृणा" की व्याख्या को " घृणा" और " निन्दा" शब्दों द्वारा वर्णित भावनाओं की उन चरम अभिव्यक्तियों तक सीमित करना था। यह भाषण को छान लेगा और उसकी रक्षा करेगा जो घृणित और आक्रामक हो सकता है, लेकिन घृणा, अवैधकरण और अस्वीकृति के स्तर को नहीं उकसाता है जो भेदभाव या चोट का कारण बनता है। तीसरा परीक्षण न्यायालयों के लिए इस मुद्दे पर अभिव्यक्ति के प्रभाव पर अपने विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था, अर्थात्, क्या यह लक्षित व्यक्ति या समूह को दूसरों द्वारा घृणा के लिए उजागर करने की संभावना है। व्यक्त किए गए विचारों का केवल तिरस्कार दंड को आकर्षित करने वाले अपराध का गठन करने के लिए अपर्याप्त है।

13. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 04.07.2020 की फेसबुक पोस्ट जानबूझकर वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी और इसमें दो समुदायों के बीच शत्रुता भड़काने की प्रवृत्ति है। फेसबुक पोस्ट की बारीकी से जांच से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी की पीड़ा मेघालय के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और क्षेत्र के दरबार श्नोंग द्वारा गैर-आदिवासी युवाओं पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने में दिखाई गई उदासीनता के खिलाफ थी। अपीलार्थी ने 1979 में गैर-आदिवासियों पर हुए हमलों का उल्लेख किया। अधिक से अधिक, फेसबुक पोस्ट को मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करने के लिए समझा जा सकता है। हालांकि, अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक तत्वों का कोई समुदाय नहीं है और बास्केटबॉल खेलने वाले गैर-आदिवासी युवाओं पर क्रूर हमले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। फेसबुक पोस्ट को पूरी तरह से मेघालय राज्य में गैर-आदिवासियों की समानता के लिए पढ़ा गया है। हमारी समझ में, अपीलार्थी का वर्ग/सामुदायिक घृणा को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं था। चूंकि अपीलार्थी द्वारा किसी समुदाय से संबंधित लोगों को किसी हिंसा में लिप्त होने के लिए उकसाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए धारा 153 क और 505 (1) (सी) के तहत अपराध के मूल तत्व नहीं बनाए गए हैं। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द कर दी जा सकती है[7]।

14. भारत एक बहुलवादी और बहुसांस्कृतिक समाज है। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता का वादा, विभिन्न प्रावधानों में प्रकट होता है जो प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को रेखांकित करता है; उनमें बोलने की आज़ादी, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने और बसने (ऐसे उचित प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें वैध रूप से अधिनियमित किया जा सकता है) का अधिकार शामिल है। कभी-कभी, जब इस तरह के अधिकार के वैध अभ्यास में, व्यक्ति यात्रा करते हैं, बस जाते हैं या ऐसी जगह पर व्यवसाय करते हैं जहां उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो नाराजगी हो सकती है, खासकर अगर ऐसे नागरिक समृद्ध होते हैं, जिससे शत्रुता या संभवतः हिंसा हो सकती है। ऐसे उदाहरणों में, यदि पीड़ित अपने असंतोष की आवाज उठाते हैं, और बोलते हैं, विशेष रूप से यदि राज्य के अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं, या अपने पैर खींचते हैं, तो असंतोष की इस तरह की आवाज वास्तव में पीड़ा के लिए, न्याय से इनकार के लिए-या देरी के लिए चिल्लाना है। इस मामले में ठीक यही हुआ प्रतीत होता है।

15. नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा किए गए छह गैर-स्थानीय लोगों पर हमले से राज्य द्वारा इनकार नहीं किया गया है; इसकी रिपोर्टिंग से भी इनकार नहीं किया गया है। राज्य ने वास्तव में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। जांच में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। दरबार श्नोंग, लॉसोतुन द्वारा की गई शिकायत कि अपीलार्थी का बयान सांप्रदायिक तनाव को उकसाएगा और पूरे राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष को भड़का सकता है, केवल कल्पना की उपज है। मेघालय राज्य में रहने वाले गैर-आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी समानता के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई तीव्र याचिका को किसी भी कल्पना के आधार पर घृणापूर्ण भाषण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह न्याय के लिए एक आह्वान था-कानून के अनुसार कार्रवाई के लिए, जिसकी उम्मीद करने और स्पष्ट करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। सरकारी निष्क्रियता की अस्वीकृति को विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है। इस देश के नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपराधिक मामलों में फंसाकर नहीं दबाया जा सकता है, जब तक कि इस तरह के भाषण में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न हो। अपीलकर्ता द्वारा किए गए फेसबुक पोस्ट के उपरोक्त विश्लेषण का अनुक्रम यह है कि अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिताकी धारा 153 क और 505 (1) (ग) के तहत अपराध के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

16. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन लबान में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पीएस केस नंबर 72 (7) 2020 दिनांक 06.07.2020 को रद्द कर दिया गया है।

विभूति भूषण बोस अपील स्वीकार की गई।

1. बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1995) 3 एस.सी.सी 214
2. मंजार सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 5 एस.सी.सी 1
3. (1997) 7 एस.सी.सी 431
4. (1988) 1 एस.सी.सी 668
5. (2014) 11 एस.सी.सी 477
6. [2013] 1 एस.सी.आर 467
7. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 सप्ल (1) एससीसी 335

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।